न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 167/2025 बउनवानी अंकित सिंघल बनाम उपजिला कलेक्टर बौंली निवासी बौंली

प्रकरण संख्या 167/2025

GCMS No-2025/ 335

Appeal Number- 321174680075275

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 10.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***नगर पालिका बौंली क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अनुमति को लेकर कुल 1 लगायत 4.6 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना*** "उपजिला कलेक्टर बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक प.11(1)आरटीआई/अंतरित/2025/3979 दिनांक 22.12.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.8.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध में आयुक्त नगर पालिका सवाईमाधोपुर को लिखा जाने पर नगर पालिका के पत्रांक न.पा.बी/2025–26/1122 दिनांक 16.12.2025 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना आयुक्त नगर परिषद बौंली के पत्रांक 1122 दिनांक 16.12.2025 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर